कार्यालय उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, देहरादून।
(जलागम प्रबन्ध निदेशालय इन्दिरा नगर फौरेस्ट कालौनी देहरादून)
ई.मेल : pdilsp.wmd@gmail.com
बेवसाइट www.wmduk.gov.in
फोन न0. 0135-2768712, 2760362
फैक्स न0. 0135-2768712, 2760362

पत्रांक250 / 11–8 (1) (ILSP) दिनांकः देहरादून, 21, मई, 2014

सेवा में,

1. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
2. अपर निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
3. वन संरक्षक मुख्यालय, वन विभाग उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य वित्त अधिकारी, जलागम प्रबन्ध निदेशालय।
6. संयुक्त निदेशक (कृषि), कृषि विभाग।
7. पशुचिकित्साधिकारी, ग्रेड– I, पशुपालन निदेशालय।

विषयः– दिनांक 13.05.2014 को उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसाइटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

उपरोक्त विषयक एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई की शासी निकाय की प्रथम बैठक दिनांक 13.05.2014 को आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा रखे गये एजेन्डा बिन्दुओं पर चर्चा उपरान्त आवश्यक निर्देश दिये गये। अतः उक्त बैठक का कार्यवृत्त, पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(नीना ग्रेवाल)
परियोजना निदेशक

पत्रांक / 11–8 (1) (ILSP) दिनांकित

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक (प्रशासन) / ग्राम्या–2 जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. अपर सचिव जलागम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. निजी सचिव, आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(नीना ग्रेवाल)
परियोजना निदेशक

दिनांक 13.05.2014 को अपर मुख्य सचिव/वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 13.05.2014 को पूर्वान्ह 12:00 बजे अपर मुख्य सचिव एवं वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शासी निकाय के सदस्यों तथा अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया जोकि संलग्नक–1 है ।

बैठक के आरम्भ में सुश्री नीना ग्रेवाल, परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसायटी के गठन का उद्देश्य एवं कर्तव्यों से अवगत कराया गया। इसके पश्चात् बैठक में एजेण्डा पर निम्नानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

बैठक का एजेण्डा बिन्दु सं0 – 01 – एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के सहभागी जलागम विकास मद की अद्यतन प्रगति

परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई द्वारा संचालित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के सहभागी जलागम विकास मद की अद्यतन प्रगति से शासी निकाय को अवगत कराया गया। परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि संविदा पर विशेषज्ञ एवं डेटा इन्ट्री ऑपरेटरों सम्बन्धी पत्रावली, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए एजेन्सी की अधिप्राप्ति हेतु TORs तथा ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना बैंक खाते के संचालन हेतु यथोचित कार्यवाही की पत्रावलियां शासन स्तर पर लंबित है। उपरोक्त में एफ0आर0डी0सी0 द्वारा अपर सचिव जलागम एवं अपर सचिव वित्त को निर्देशित किया गया कि इन पत्रावलियों का निस्तारण शीघ्रातिशीघ्र किया जाये।

(कार्यवाही – परियोजना निदेशक ILSP, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई)

बैठक का एजेण्डा बिन्दु सं0 – 02 – टेलीफोन एवं मोबाईल सुविधा के लिए परियोजना में दरों का निर्धारण

वाह्य सहायतित परियोजनाओं में तैनात पूर्व कालिक सरकारी कार्मिकों के लिये प्रोत्साहन भत्ता आदि की दरों का निर्धारण शासनादेश सं0 209/XXVII(7)/प्र0 श0/2006 दिनांक 16.11.2006 द्वारा किया गया है। एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में कार्यरत पूर्व कालिक सरकारी कार्मिकों को उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित दरों पर परियोजना भत्ता के प्रस्ताव का शासी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया। शासनादेश के बिन्दु सं0 07 में कार्मिकों को अनुमन्य टेलीफोन एवं मोबाईल सुविधा की निर्धारित दरों का उल्लेख है। विश्व बैंक पोषित उत्तराखण्ड विकास परियोजना फेज–1 में तैनात यूनिट अधिकारी स्तर तक के कार्मिकों को शासनादेश सं0 852/XIII-II/ 483(5)/2004 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा मोबाईल फोन पर व्यय की प्रतिपूर्ति की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की गईं जिसे समान रूप से एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में तैनात पूर्व कालिक राजकीय कार्मिकों में लागू करने हेतु शासी निकाय द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

1. परियोजना निदेशक एवं उच्च अधिकारी	रू0 1500/– प्रतिमाह
2. उप परियोजना निदेशक एवं श्रेणी–। के अधिकारी	रू0 1000/– प्रतिमाह
3. श्रेणी– II के अधिकारी–	रू0 800/– प्रतिमाह
4. यूनिट स्तर अधिकारी–	रू0 500/– प्रतिमाह

उक्त के अतिरिक्त ग्राम स्तरीय पूर्ण कालिक राजकीय कार्मिकों को प्रतिमाह रू0 250/– की सीमा तक मोबाईल व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही – मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

बैठक का एजेण्डा बिन्दु सं0 – 03 – एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर परियोजना अवधि के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन

परियोजना के सुगम संचालन हेतु वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के संबंध में शासी निकाय द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा कियान्वित की जा रही परियोजनाओं को समान निर्देशों के तहत ही कियान्वयन किया जाय। अतः शासनादेश सख्यां 171/XIII-II/490(5)/2004 दिनांक 4 जुलाई 2006 के अनुसार एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के लिये निम्नानुसार प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों का प्रयोग किया जाय–

(रू0 लाख में)

क0सं0/ विवरण	शासी निकाय	कार्यकारिणी समिति/मुख्य परियोजना निदेशक	परियोजना निदेशक (राज्य स्तरीय)	क्षेत्रीय परियोजना निदेशक/ परियोजना निदेशक (प्रशासन)	उप परियोजना निदेशक
1. भण्डार क्रय	पूर्ण अधिकार	13.50	10.00	5.00	2.00
2. क्षेत्रीय कार्य के सम्पादन	पूर्ण अधिकार	22.50	20.00	13.50	10.00
3. प्रकाशन	पूर्ण अधिकार	13.50	10.00	5.00	1.00
4. कन्सलटेंसी/ टैक्नीकल एवं प्रोफेशनल सर्विस	पूर्ण अधिकार	13.50	10.00लाख तक अग्रेतर अधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर	5.00 लाख तक अग्रेतर अधिकारी से प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आधार पर	...

(कार्यवाही – मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

बैठक का एजेण्डा बिन्दु सं0 – 04 – एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के लिए वाहन क्रय करने हेतु प्रस्ताव :

वाहनों के संबंध में अपर सचिव, वित्त द्वारा बैठक में यह अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या 65/IX-I/2013/215/2011, दिनांक 17.01.2013 द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए निजी वाहन के प्रयोग का रिम्बर्समैन्ट अथवा आउटसोर्सिंग से वाहन प्राप्त करने का विकल्प का प्राविधान है। मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम ने अवगत कराया कि उच्च स्तर के अधिकारियों को राजकीय कार्य हेतु सचिवालय आना होता है। सचिवालय में प्रवेश हेतु राजकीय वाहन हेतु पास उपलब्ध कराया जाता है। अतः मुख्य परियोजना निदेशक एवं परियोजना निदेशक स्तर के लिए वाहन क्रय किया जाना उचित होगा। बैठक में उपस्थित परियोजना निदेशक प्रशासन, जलागम प्रबन्ध निदेशालय ने अवगत कराया कि जलागम निदेशालय में वर्ष 2013–14 में 03 कार व 03 जीप का अपलेखन कर नीलाम किया गया है। अपलेखन किये गये वाहनों के स्थान पर नये वाहन क्रय किये जा सकते हैं। शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए वाहन क्रय किये जाये तथा फील्ड स्तर पर वाहनों के लिए आउट सोर्सिंग किया जाये। तद्नुसार 5 वाहन परियोजना के उच्च अधिकारियों के लिये कय करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी तथा शेष 5 वाहन फील्ड स्तर हेतु आउट सोर्सिगं के माध्यम से लेने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

शासी निकाय द्वारा मुख्य परियोजना निदेशक एवं परियोजना निदेशक आई0एल0एस0पी0 द्वारा बैठक में रखे गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही – मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

बैठक के अन्त में परियोजना निदेशक, एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा अपर मुख्य सचिव महोदय तथा अन्य उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को धन्यवाद किया गया। उक्त के उपरान्त अपर मुख्य सचिव महोदय की आज्ञा से बैठक का समापन किया गया।

(एम0एच0 खान)
मुख्य परियोजना निदेशक/सदस्य सचिव
यू0डब्ल्यू0डी0यू0, शासी निकाय
जलागम प्रबन्ध निदेशालय

(नीना ग्रेवाल)
परियोजना निदेशक ILSP/सदस्य
यू0डब्ल्यू0डी0यू0, शासी निकाय
जलागम प्रबन्ध निदेशालय

(बी0पी0 पाण्डे)
अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष
यू0डब्ल्यू0डी0यू0, शासी निकाय
उत्तराखण्ड शासन

(सलग्नक–1)

उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई सोसायटी की शासी निकाय की प्रथम बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची–

1. श्री बी0पी0 पाण्डे, अपर मुख्य सचिव/अध्यक्ष
2. श्री एम0एच0 खान, प्रमुख सचिव/मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
3. श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव/वित्त
4. श्री सविन बंसल, अपर सचिव जलागम
5. श्री डी0जे0के0 शर्मा, परियोजना निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
6. श्री डब्ल्यू0 लौग्वाह, परियोजना निदेशक (प्रशासन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय
7. श्रीमती नीना ग्रेवाल, परियोजना निदेशक, ILSP जलागम प्रबन्ध निदेशालय
8. श्री एस0एस0 रसाईली, वन संरक्षक (मुख्यालय)
9. श्रीमती मीनाक्षी जोशी, संयुक्त निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय
10. डा0 डी0एस0 रावत, उप निदेशक (नियोजन) जलागम प्रबन्ध निदेशालय
11. श्री पी0के0 सिंह, उप परियोजना निदेशक
12. डा0 सन्दीप रावत, संयुक्त निदेशक (नियोजन) पशुपालन विभाग
13. श्री के0सी0 पाठक, संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन) कृषि विभाग